

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय में प्राध्यापकों के सृजित, कार्यरत एवं रिक्त (रिक्त एवं सम्भावित रिक्त) पदों का विवरण

(स्थानान्तरण वर्ष 2026-27)

क्र० स०	जनपद	प्रास्थिति	महाविद्यालय	विषय	सृजित पद	कार्यरत नियमित	रिक्त	सम्भावित रिक्त
1	चमोली	दुर्गम	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर	सैन्य विज्ञान	2	2	0	2
2	चमोली	दुर्गम	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोशीमठ	सैन्य विज्ञान	1	1	0	1
3	देहरादून	सुगम	शहीद दुर्गमल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला	सैन्य विज्ञान	1	0	1	0
4	देहरादून	सुगम	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता रायपुर	सैन्य विज्ञान	1	1	0	1
5	पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	राजकीय महाविद्यालय मजरा महादेव	सैन्य विज्ञान	1	1	0	0
6	पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	राजकीय महाविद्यालय सतपुली	सैन्य विज्ञान	1	1	0	1
7	पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थलीसेण	सैन्य विज्ञान	1	0	1	0
8	पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	राजकीय महाविद्यालय उफरैखाल	सैन्य विज्ञान	1	1	0	1
9	पौड़ी गढ़वाल	दुर्गम	डा० एस०एन०एन राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल	सैन्य विज्ञान	1	1	0	1
10	पिथौरागढ़	दुर्गम	राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट	सैन्य विज्ञान	1	1	0	1
11	पिथौरागढ़	दुर्गम	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुनस्यारी	सैन्य विज्ञान	1	0	1	0
12	टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लम्बगांव प्रतापनगर	सैन्य विज्ञान	1	1	0	1
13	टिहरी गढ़वाल	दुर्गम	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी	सैन्य विज्ञान	3	2	1	2
योग					16	12	4	11

नोट :-

1. 'वरिष्ठ कार्मिक' श्रेणी में आने वाले कार्मिकों के पदों को सम्भावित रिक्तियों से पृथक नहीं किया गया है। स्थानान्तरण हेतु कार्मिक अधिनियम में वर्णित व्यवस्थानुसार नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।
2. दिनांक 31.05.2026 तक रिक्त होने वाले पदों को शुद्ध रिक्त पदों की श्रेणी में रखा गया है।
3. सम्भावित रिक्त पदों का तात्पर्य अनिवार्य स्थानान्तरण में पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण होने की दशा से है।
4. शुद्ध रिक्त पद का तात्पर्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए रिक्त पद से है।
5. सम्भावित रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
6. विनियमित कार्मिकों के सेवा इतिहास की गणना उनके विनियमितीकरण की तिथि से की गयी है। (तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को छोड़कर)
7. स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 20 (क) एवं 20 (ख) में वर्णित व्यवस्थानुसार दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर प्रोत्साहन स्थानान्तरण आवेदन करने पर देय होगा।

